शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

TelePhone 07782-229037, Fax 07782-229037, Website: www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 655 /अका./कार्यपरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/07/2022

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर के कार्यपरिषद की 40वीं बैठक दिनांक 14.07.2022 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन/प्रशासन द्वारा जारी सभी प्रोटोकाल एवं निर्देशों का पालन करते हुए बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए तथा शेष निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1.	प्रोफेसर (डॉ.) शैलेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री रेखचंद जैन, माननीय विधायक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 86 – जगदलपुर	सदस्य
3.	डॉ. टी.आर. रात्रे, प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, तोकापाल।	सदस्य
4.	डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) एवं संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं कला संकाय, शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम, बीजापुर	सदस्य
5.	डॉ. चेतन राम पटेल, प्राचार्य, शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागॉव।	सदस्य
6.	श्री धीरज नशीने, संभागीय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ कोष, लेखा एवं पेंशन संभागीय कार्यालय, जगदलपुर	सदस्य
7.	श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं विधि संकाय, प्राचार्य, श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर बस्तर।	सदस्य
8.	डॉ. विनोद कुमार पाठक, कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर	पदेन सचिव

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

9.	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
10.	पद्मश्री अनूप रंजन पाण्डेय, एच–15, सेलटैक्स कालोनी, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	सदस्य
11.	डॉ. आर.के. हिरकने, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	सदस्य
12.	डॉ. के. इंदिरा संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय, प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	सदस्य

14 JUL 2022

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 39वीं बैठक दिनांक 27.05.2022 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :–

सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 39वीं बैठक दिनांक 27.05.2022 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन को कार्यपरिषद के पटल पर रखना।

निर्णय :–

पालन प्रतिवेदन का सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

दिनांक 11.07.2022 को आयोजित विद्यापरिषद की बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए जाने वाले निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को सप्लाई किये गये 65 नग कम्प्यूटर्स की राशि के भुगतान संबंधी।

विभागीय टीप–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को सप्लाई किये गये 65 नग कम्प्यूटर्स की राशि के भुगतान के संबंध में राजभवन सचिवालय का आदेश क्र. 1997/3574/2021/रास/यू–8/रायपुर, दिनांक 25.03.2022 के द्वारा छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय को सप्लाई किये गये 65 नग कम्प्यूटर्स भुगतान की राशि के संबंध में जांच समिति गठित की गई थी। गठित दो सदस्यीय जांच समिति द्वारा विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर जांच कार्य पूर्ण किया गया है। पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

राजभवन सचिवालय का पत्र क्र. 4591/3574/2021/रास/यू–8/ रायपुर, दिनांक 22.06.2022 के द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को सप्लाई किये गये 65 नग कम्प्यूटर्स की राशि के भुगतान के संबंध में उपर्युक्तानुसार गठित दो सदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं जांच समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के निर्देशानुसार श्री संतोष सिंह, प्रो. सायबर नेट सिस्टम, रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदाय किये गये 65 नग कम्प्यूटर के एवज में राशि भुगतान की कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से राजभवन सचिवालय को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

विश्वविद्यालय को सप्लाई किये गये 65 नग कम्प्यूटर्स के संबंध में तथ्य निम्नानुसार है:–

14 JUL 2022

01. यह कि, बस्तर विश्वविद्यालय का क्रय आदेश दिनांक 16.03.2016, HCL Infosystem Ltd. 806, Sidharth, 96, Neharu Place, New Delhi, 110019 के नाम से जारी हुआ था। बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा साईबर नेट/संतोष सिंह को कोई भी क्रय आदेश प्रदान नहीं किया गया है। **(संलग्न–1 पृ.क्र. 01 से 02)**

02. यह कि, साईबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा छल–कपट पूर्वक, तत्समय संविदा पर पदस्थ डॉ. अनुपम तिवारी एवं तत्कालीन कुलपति डॉ. एन.डी.आर. चन्द्रा के साथ मिलकर आपराधि षड़यंत्र के तहत बस्तर विश्वविद्यालय में 65 नग कम्प्यूटर्स अवैधानिक रूप से आपूर्ति करने का कत्य कारित किया गया था। डॉ. एन.डी.आर. चन्द्रा तत्कालीन कुलपति को राज्य शासन के द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति पद से बर्खास्त कियाजा चुका है तथा संविदा पर पदस्थ डॉ. अनुपम तिवारी की सेवायें भी विश्वविद्यालय से समाप्त की जा चुकी है। **(संलग्न–2 पृ.क्र. 03 से 04)**

03. यह कि, कम्प्यूटर्स आपूर्ति में हुई अवैधानिकता की जानकारी भी तत्कालीन कुलसचिव श्री एस.पी. तिवारी के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा के पटल पर उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से रखी जा चुकी है। **(संलग्न–3 पृ.क्र. 05 से 14)**

04. यह कि, बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा HCL Infosystem Ltd., New Delhi, को भी अनेक पत्र लिख कर, विश्वविद्यालय क्रय आदेश तथा कम्प्यूटर्स के संबंध में जानकारी चाही गई थी जिसपर HCL Infosystem Ltd., New Delhi, के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया अपितु दूरभाष पर तत्कालीन कुलसचिव श्री एस.पी. तिवारी को HCL Infosystem Ltd., New Delhi, के द्वारा साईबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा की गई अवैधानिक आपूर्ति का दायित्व लेने से इंकार किया गया था। **(संलग्न–4 पृ.क्र. 15 से 18)**

05. यह कि, वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–52 के तहत बस्तर संभागायुक्त को कुलपति नियुक्त किया गया था। संभागायुक्त के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने पर तत्कालीन कुलपति सह संभागायुक्त के द्वारा पूरे प्रकरण में जांच कराई गई थी तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर, बस्तर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 06.07.2017 के द्वारा HCL Infosystem Ltd. 806, Sidharth, 96, Neharu Place, New Delhi, 110019 के नाम से जारी क्रय आदेश दिनांक 16.03.2016 को निरस्त किया जा चुका है। **(संलग्न–5 पृ.क्र. 19 से 24)**

06. यह कि, विश्वविद्यालय के द्वारा अनेक अवसर पर साईबर नेट/संतोष सिंह को वर्ष 2017 से ही यह निर्देशित किया जाता रहा है कि, अवैधानिक रूप से छल–कपट करके रखाये गये उक्त कम्प्यूटर्स को विश्वविद्यालय से वापिस ले जावे क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा उनकी आपूर्ति को स्वीकार नहीं किया गया है। HCL Infosystem Ltd. 806, Sidharth, 96, Neharu Place, New Delhi, 110019 के पक्ष में जारी क्रय आदेश, जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् निरस्त किया जा चुका है, जिस पर HCL Infosystem Ltd. 806, Sidharth, 96, Neharu Place, New Delhi, 110019 को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः उक्त कम्प्यूटर्स की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी बस्तर विश्वविद्यालय की नहीं है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा बस्तर जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई थी। **(संलग्न–6 पृ.क्र. 25 से 27)**

14 JUL 2022

07. यह कि, उक्त तथ्यों की जानकारी होते हुये भी साईबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा सर्वप्रथम विश्वविद्यालय पर दबाव निर्मित करने के आशय से छत्तीसगढ़ लोक आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जिस में वर्तमान कुलपति पक्षकार नहीं थे। किन्तु साइबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा वर्तमान कुलपति महोदय पर दबाव निर्मित कराने के आशय से लोक आयोग के माध्यम से निर्देश जारी कराके, कम्प्यूटर्स प्रकरण में समझौता करने हेतु दबाव बनाया गया था। जिसपर वर्तमान कुलपति महोदय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका WPS No. 717/2018 प्रस्तुत की गई थी, उक्त याचिका में दिनांक 19.01.2018 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा वर्तमान कुलपति को लोक आयोग के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराने और उनका लोक आयोग के द्वारा निराकरण करने का आदेश दिया गया था। लोक आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय के विरूद्ध भुगतान करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, किन्तु तत्कालीन कुलसचिव श्री एस.पी. तिवारी एवं उनके पश्चात नियुक्ति कुलसचिव हीरालाल नायक के विरूद्ध कार्य अपनी अनुशंसाये राज्य शासन को प्रेषित की थी। **(संलग्न–7 पृ.क्र. 28 से 63)**

08. यह कि, लोक आयोग के द्वारा की गई कार्यवाही की वैधानिकता को तत्कालीन कुलसचिव एस.पी. तिवारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 4477/2018 के द्वारा चुनौती दी गई है जिसपर माननीय न्यायालय के द्वारा लोक आयोग की कार्यवाही पर उन्हें स्थगन आदेश दिनांक 10.07.2018 को प्रदान किया गया है तथा उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। **(संलग्न–8 पृ.क्र. 64 से 87)**

09. यह कि, लोक आयोग के द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय को साईबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा अवैधानिक रूप से आपूर्ति किये गये कम्प्यूटर्स के देयकों के भुगतान हेतु कोई आदेश नहीं दिया गया है तथा इस संबंध में साईबर नेट/संतोष सिंह को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था कि विश्वविद्यालय, साईबर नेट/संतोष सिंह को उनके तथाकथित देयकों के भुगतान हेतु कोई आदेश लोक आयोग द्वारा नहीं दिया जा सकता।

10. यह कि, साईबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 06.07.2017 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 1510/2019 के द्वारा चुनौती देते हुये बस्तर विश्वविद्यालय से साईबर नेट/संतोष सिंह के देयकों के भुगतान हेतु निर्देश/आदेश देने हेतु निवेदन किया गया था।

11. यह कि, उक्त याचिका पर विश्वविद्यालय का पक्ष सुनने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ के द्वारा भी यह माना गया था कि साईबर नेट सिस्टम एवं बस्तर विश्वविद्यालय के मध्य कोई संविदा नहीं हुई है, उपरोक्त की स्थिति में विश्वविद्यालय को देयकों के भुगतान हेतु आदेश नहीं दिया जा सकता है। परिणामस्वरूप साईबर नेट/संतोष सिंह की रिट याचिका को दिनांक 19.10.2020 को खारिज किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की युगल पीठ के आदेश का संबंधित पैरा निम्नानुसार है:–

14 JUL 2022

6. **On considering the rival pleadings and the submissions made from both the sides, it is revealed that the cause of action virtually amounts to a civil dispute in relation to the supply of 65 sets of Desktop Computers by the petitioner to the University, admittedly, without getting any purchase order from the University, but for Annexure P/2 purchase order issued by the Univeristy in favour of M/s HCL Infosystems Ltd. The supply was effected based on the understanding between the Petitioner and M/s HCL Infosystems Ltd. and there is no privity of contract between the Petitioner and the University. That apart, when the supply has been effected by the Petitioner on the basis of the instructions given by the HCL Infosystem Ltd., the petitioner has not chosen to implead the HCL Infosystems Ltd. in the party array. If the Petitioner has effected supply on the basis of the instructions given by M/s. HCL Infosystems Ltd. (based on the understanding between them) and no payment has been made, it is alwasy open for the petitioner to proceed with appropriate steps against M/s. HCL Infosystems ltd. with regard to which we do not intend to express any opinion. The rights arising out of an agreement/understanding between the Petitioner and the HCL Infosystems Ltd. for effecting supply of 65 Desktop Computers to the Respondent-University (without involvement of the University) is virtually sought to be enforced through the writ petition, seeking for a direction to be given to the University to effect the payment. We find it difficult to entertain the prayers as it is purely a civil cause of action, if at all any and further that three is no 'privity of contract' between the Petitioner and the University.** (संलग्न–09 पृ.क्र. 88 से 94)

12. यह कि, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि, साईबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा डॉ. अनुपम तिवारी एवं तत्कालीन कुलपति डॉ. एन.डी.आर. चन्द्रा के सहयोग से अवैधानिक कृत्य कारित किये गये थे तथा तथाकथित उपयुक्ता प्रतिवेदन तैयार कराये गये थे जिसे बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया था और न ही साइबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा अवैधानिक रूप से विश्वविद्यालय में रखे गये कम्प्यूटर्स को कभी स्वीकार किया है और नही उनका कोई भौतिक सत्यापन विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। साइबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा डॉ. अनुपम तिवारी एवं तत्कालीन कुलपति डॉ. एन.डी.आर. चन्द्रा के सहयोग से मिथ्या दस्तावेज तैयार करते हुए बस्तर विश्वविद्यालय के साथ छल–कपट करने का कृत्य कारित किया गया था।

13. यह कि, बस्तर विश्वविद्यालय के साइबर नेट/संतोष सिंह को भी कोई क्रय आदेश नहीं दिये जाने के कारण, बस्तर विश्वविद्यालय के क्रय आदेश दिनांक 16.03.2016 के संबंध ा में साइबर नेट/संतोष सिंह से कानून के अनुसार कोई भी समव्यहार नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वि.वि. का क्रय आदेश 16.03.2016 को विश्वविद्यालय के द्वारा आदेश दिनांक 06.07.2017 के माध्यम से निरस्त किये जाने एवं उक्त आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ से खारिज हो जाने के पश्चात साइबर नेट/संतोष सिंह को किसी प्रकार के बस्तर विश्वविद्यालय से भुगतान का प्रश्न हीं उत्पन्न नहीं होता है।

14. यह कि, बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा साइबर नेट/संतोष सिंह को अनेक अवसरों पर पूर्व में भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया जा चुका है कि साइबर नेट/संतोष सिंह के अवैध ानिक देयकों के भुगतान का दायित्व बस्तर विश्वविद्यालय का नहीं है। अतः अवैधानिक कार्य हेतु किसी भी प्रकार का दबाव निर्मित करने का प्रयास न करें, तथा बस्तर विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन में लावारिस हालत सील्ड कक्ष में रखे बाक्स को वह अबिलंब वापिस ले जावे क्योंकि उसकी सुरक्षा का दायित्व बस्तर विश्वविद्यालय का नहीं है।

14 JUL 2022

15. यह कि, साइबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से बस्तर विश्वविद्यालय को विधिक नोटिस दिनांक 23.11.2020 को प्रेषित किया गया था जिसका जवाब बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 01.12.2020 को प्रेषित किया जा कर साइबर नेट/संतोष सिंह के समस्त मिथ्या कथनों का खण्डन किया जाकर उन्हें समुचित प्रतिवाद प्रेषित किया गया था। **(संलग्न–10 पृ.क्र. 95 से 100)**

16. यह कि, बस्तर विश्वविद्यालय के क्रय आदेश 16.03.2016 को विश्वविद्यालय के द्वारा आदेश दिनांक 06.07.2017 के माध्यम से निरस्त किया जा चुका है तथा बस्तर विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की युगलपीठ के द्वारा भी किसी भी प्रकार से हस्ताक्षेप किये जाने से इंकार कर साइबर नेट/संतोष सिंह की रिट याचिका खारिज कर, साइबर नेट/संतोष सिंह को HCL Infosystem Ltd., New Delhi, को सिविल न्यायालय में पक्षकार बना कर HCL Infosystem Ltd., New Delhi, के विरूद्ध कार्यवाही करने की स्वतंत्रा प्रदान की गई है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की युगल पीठ के द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 19.10.020 में यह निर्णित किया गया है कि, विश्वविद्यालय एवं साईबर नेट/संतोष सिंह के मध्य किसी भी प्रकार की कोई संविदा नहीं हुई है।

17. पूर्व कुलसचिव श्री एस.पी. तिवारी द्वारा उक्त फर्म से क्रय प्रक्रिया की संदिग्धता को देखते हुए तथा भुगतान के लिये साईबर नेट सिस्टम, रायपुर द्वारा अनावश्यक दबाब देने, नोटरी द्वारा सत्यापित गलत अधिकार पत्र देने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने तथा धोखा धड़ी करने के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1221/ब.वि.वि./2016, जगदलपुर, दिनांक 04.07.2016 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। श्री हीरालाल नायक, तत्कालीन कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 4353/ब.वि. वि./2017, जगदलपुर दिनांक 04.08.2017 के द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय में 65 नग कम्प्यूटर खरीदी में ठगी करने के संबंध में थाना प्रभारी, कोतवाली, जगदलपुर में प्राथमिकी दर्ज करने के लिये डॉ. शैलेन्द्र कुमार पटेल, उप कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय को आदेशित किया गया था, जिस पर कोतवाली जगदलपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता भा.द.वि. धारा 420, 34 के तहत प्र.सू.प्र.क्र. 315/17, दिनांक 04.08.2017 के तहत पूर्व कुलपति, डॉ. एन.डी.आर. चन्द्र, भण्डार के संविदा सहायक कुलसचिव, डॉ. अनुपम तिवारी एवं कम्प्यूटर सप्लायर श्री संतोष सिंह के विरूद्ध धोखाधड़ी, फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने कारण अपराध पंजीकृत किया जा चुका है। एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–11 पृ.क्र. 101 से 108)**

18. यह कि, यह सर्वमान्य है कि, देश में विधि का शासन है, कानून से परे कोई भी व्यक्ति नहीं है। साइबर नेट/संतोष सिंह के द्वारा गलत आचरण के तहत अवैधानिक रूप से बस्तर विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर्स की आपूर्ति कराई गई थी। देश में गलत आचरण करने वालों को किसी भी प्रकार का संरक्षण पाने की पात्रता नहीं है।

19 यह कि, वर्तमान में लोक आयोग के विरूद्ध श्री एस.पी. तिवारी की रिट याचिका लंबित है जिसमें श्री संतोष सिंह एकपक्षकार है तथा साईबर नेट/संतोष सिंह की याचिका निराकृत हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विश्वविद्यालय के द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों को रखा जा चुका है। उपरोक्त की स्थिति में बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा संतोष सिंह के देयकों का भुगतान किया जाना, माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के विपरीत होने से माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की स्थिति निर्मित हो सकती है।

14 JUL 2022

20. श्री नीरज चौब, अधिवक्ता से विधिक अभिमत लिया गया है जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 10 में दिये गये प्रावधान के तहत माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश पर गठित दो सदस्यीय जॉच दल के द्वारा जॉच रिपोर्ट कुलाधिपति कार्यालय में प्रस्तुत की है। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 3 के तहत जॉच रिपोर्ट को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के समक्ष कार्यपरिषद की राय अभिनिश्चित करने हेतु रखा जाना चाहिए। जिससे विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद अपने राय सुनिश्चित कर सके।

चूंकि कुलाधिपति कार्यालय के द्वारा बगैर जॉच रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित किये हुए, पत्र दिनांक 22.06.2022 के माध्यम से 65 नग कम्प्यूटर के एवज में राशि भुगतान की कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। जबकि उक्त संबंध में एच.सी.एल को जॉच को जारी क्रय आदेश दिनांक 06.07.2017 को निरस्त किया जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ के द्वारा रीट यॉचिका क्रमांक 1510/2019 को निरस्त करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि "बस्तर विश्वविद्यालय एवं साईबर नेट के श्री संतोष सिंह के मध्य किसी भी प्रकार की कोई संविदा नहीं हुए है।" एक अन्य यॉचिका क्रमांक 4477/2018 वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। जिसमें विश्वविद्यालय के द्वारा शपत पूर्वक जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गये जवाब एवं माननीय उच्च के द्वारा दिनांक 19.10.2020 को दिये गये निष्कर्ष के विपरीत कृत्य किया जाना पूर्णतः अनुचित होता है।

प्रकरण की जठिलता एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निष्कर्ष के प्रकाश में माननीय कुलाधिपति कार्यालय से जारी निर्देश का पालन किये जाने हेतु इस प्रकरण में राज्य शासन के सर्वोच्च विधि अधिकारी अर्थात माननीय महाधिवक्ता महोदय की राय, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से लिया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण वित्तीय वर्ष 2016 में दिये गये आदेश से संबंधित है। अतः वर्तमान में भुगतान करने के पूर्व छ.ग. महालेखाकार कार्यालय को भी समस्त तथ्यों से अवगत कराते हुए 65 नग कम्प्यूटर एवज में राशि भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना भी उचित होगा।

अतः राजभवन सचिवालय का आदेश क्र. 1997/3574/2021/रास/यू–8/रायपुर, दिनांक 25.03.2022 तथा राजभवन सचिवालय का पत्र क्र. 4591/3574/ 2021/ रास/यू–8/ रायपुर, दिनांक 22.06.2022 के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्तानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :–

प्रकरण के संबंध में सर्वप्रथम सम्माननीय श्री रेखचंद जैन, विधायक जगदलपुर विधानसभा एवं कार्यपरिषद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक/2353/MLAJDP/स्था./2022 दिनांक 14.07.2022 के अनुसार निम्नलिखित आपत्तियों के संबंध में समस्त कार्यपरिषद सदस्यों को अवगत कराया गया :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा 65 कम्प्यूटर का क्रय आदेश एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम लिमिटेड को 16.03.2016 को जारी किया गया है। साइबर नेट को कोई आदेश नहीं किया गया है।
2. सत्र 2017 में दिनांक 06.07.2017 को क्रय आदेश निरस्त किया जा चुका है तब से सायबर नेट को अवैधानिक रूप से की गई आपूर्ति को अस्वीकार कर वापस ले जाने हेतु पत्राचार कर निर्देशित किया जाता रहा है।

14 JUL 2022

3. सायबर नेट द्वारा लोक आयोग में शिकायत कर समझौते हेतु दबाव बनाया गया, जिसके चलते वर्तमान कुलपति ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोक आयोग के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश कुलपति को दिया गया है। लोक आयोग द्वारा भुगतान हेतु कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

4. लोक आयोग की कार्यवाही के विरूद्ध तत्कालीन कुलसचिव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन कर चुनौती दी गई, जिसमें स्थगन होकर यह प्रकरण विचाराधीन है।

5. यह कि माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने माना है कि विश्वविद्यालय एवं सायबर नेट के मध्य कोई संविदा नहीं होने के कारण भुगतान का आदेश नहीं दिया जा सकता है। सायबर नेट की याचिका को दिनांक 19.10.2020 को खारिज किया जा चुका है। इस आदेश के चलते भुगतान किया जाना माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होगी।

6. माननीय कुलाधिपति द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को कार्यपरिषद को विचारार्थ भेजा जाना चाहिये। जिस पर कार्यपरिषद अपनी राय सुनिश्चित कर सके।

7. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 के अनुसार रिपोर्ट कार्यपरिषद में प्रेषित की जानी चाहिये।

चूंकि कुलाधिपति कार्यालय द्वारा भुगतान किये जाने का यह आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2020 में प्रदत्त आदेश एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एवं चूंकि संपूर्ण मामला वर्ष–2016 से संबंधित होने के कारण छत्तीसगढ़ महालेखाकार एवं उच्च शिक्षा विभाग को मार्गदर्शन हेतु अथवा वित्तीय स्वीकृति हेतु भेजा जाना चाहिये।

राजभवन सचिवालय के पत्र क्र. 5134/3574/2021/रास/यू–8/रायपुर, दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से प्राप्त दो सदस्यीय जांच समिति द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मय अभिलेख का अवलोकन करने पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता कार्यालय एवं महालेखाकार कार्यालय को इस प्रकरण के संबंध में समस्त अभिलेखों की प्रति प्रेषित करते हुए अभिमत प्राप्त किया जावे। महाधिवक्ता कार्यालय एवं महालेखाकार कार्यालय से अभिमत प्राप्त होने पश्चात् कार्यपरिषद में प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जावे। तब तक भुगतान की कार्यवाही लंबित रखा जावे। प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों को सुरक्षित संधारित रखा जावे। इसकी सूचना छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं राजभवन सचिवालय को भी प्रेषित किया जावे।

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय के परीक्षा /गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अध्यादेश क्रमांक 5 के कंडिका 20 (vi) के अनुसार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के सत्र 2021–22 के विभिन्न परीक्षाओं के आने वाले नकल प्रकरण का निराकरण करने हेतु UFM कमेटी का गठन निम्नानुसार किया जाना है:–

1.	कार्यपरिषद का (एक) सदस्य	–	
2.	संकायाध्यक्ष का (एक) सदस्य	–	
3.	विद्यापरिषद का (एक)सदस्य	–	
4.	कुलसचिव	–	पदेन सचिव

उपर्युक्त विश्वविद्यालय कार्यपरिषद, संकायाध्यक्ष एवं विद्यापरिषद के किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा दो को सदस्य नामित करने संबंधी प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

UFM कमेटी का गठन हेतु कार्यपरिषद, संकायाध्यक्ष एवं विद्यापरिषद के किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा दो को सदस्य नामित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया है।

14 JUL 2022

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय का प्रस्ताव)

सेमेस्टर परीक्षा जनवरी–जून 2022 के प्रश्न प्रत्र प्रिंटिग (सेट 268) के कुल देयक राशि रू. 18,74,020/– (अठारह लाख चौहत्तर हजार बीस रूपये) का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का सेमेस्टर परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र प्रिंटिंग (सेट 268) का देयक बिल नं. GP/10/22-23, दिनांक 22 जून 2022 आदेश क्रमांक 2258/श.म.क.वि.वि./2021, दिनांक 18 नवम्बर 2021, के गोपनीय सामग्री प्रिंटिंग, पेकिंग, विसिट, सिलिंग एवं पेकिंग, गोपनीय एवं सेक्यूरिटी देयक राशि रू. 16,73,232=48 IGST @ 12%- 2,20,787=90 कुल राशि रू. 18,74,020/– (अठारह लाख चौहत्तर हजार बीस रूपये) का भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 7 (विश्वविद्यालय के स्थापना एवं प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

विभागीय टीप :–

बस्तर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में एंथ्रोंपोलॉजी विषय के हस्तलिखित प्रश्नपत्र की प्रतियां परीक्षा के पूर्व सार्वजनिक होने संबंधी शिकायत के संबंध में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र कमांक एफ 16–1/2022/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/04/2022 द्वारा कुलसचिव, शहीद महेन्द्र विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को प्राप्त कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में कुलसचिव द्वारा अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित पत्र कमांक/5764/परीक्षा/गोपनीय/श.म.क.वि.वि./2022 दिनांक 20.05.2022 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र कमांक एफ 16–1/2022/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/06/2022 द्वारा लेख किया गया है कि बस्तर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में एंथ्रोंपोलॉजी विषय के हस्तलिखित प्रश्नपत्र की प्रतियां परीक्षा के पूर्व सार्वजनिक होने संबंधी शिकायत में प्रश्न पत्र रचयिता डॉ. एस. के. कोले, प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन को कार्यपरिषद द्वारा दोषी पाया गया है। निर्देशानुसार, डॉ. कोले के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाकर उक्त विभाग को अवगत कराये।

उपरोक्तानुसार डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में निर्णय हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

14 JUL 2022

निर्णय :–

डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए विभागीय जॉच संस्थित किया जावे। जॉचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। जॉचकर्ता अधिकारी डॉ. स्वपन कुमार कोले, प्राध्यापक से उच्च पद धारण करने वाले यथा शासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्राचार्य/स्नातकोत्तर प्राचार्य स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जावे। जॉचकर्ता अधिकारी को विभागीय जॉच हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर जॉच प्रतिवेदन कुलपति के माध्यम से कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जावेगा।

विषय क्रमांक – 8 (विश्वविद्यालय के स्थापना एवं प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में सत्र 2021–22 में नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत 11 अतिथि व्याख्याताओं के द्वारा दिनांक 09.05.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर की गई याचिका क्रमांक WPS No. 2853/2022 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2022 संलग्न करते हुये नियमित भर्ती होने तक पद से न हटाने का निवेदन किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद की 39वीं बैठक दिनांक 27.05.2022 के विषय क्रमांक 23 में रखे गये प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय अनुसार विधिक अभिमत प्रदान करने हेतु श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/5840/श.म.क.वि.वि.ब./2022 जगदलपुर दिनांक 07.06.2022 प्रेषित किया गया था, जिसके जवाब में श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पत्र दिनांक 22.06.2022 के माध्यम से निम्नानुसार अभिमत प्रदाय किया गया है :–

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा WP (S) No. 2853/2022 में पारित आदेश का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 11 अतिथि व्याख्याताओं के द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी इसलिये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश उन 11 अतिथि व्याख्याताओं के संदर्भ में है। परन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत भी लागू होता है तथा एक आदर्श नियुक्ति का यह भी दायित्व है कि वह अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचे। चूंकि विश्वविद्यालय भी एक आदर्श नियुक्ति है तथा क्योंकि कोई अन्य अतिथि व्याख्याता भी यदि रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दखिल करेगा तो, माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा ही आदेश आने की संभावना ही है।

अतः समान प्रकरणों में विश्वविद्यालय को समान अवसर समस्त अतिथि व्याख्याताओं को दिया जाना अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता है।

तद्नुसार आपके द्वारा चाहे गये अभिमत के संदर्भ में, मेरा अभिमत है कि, जहॉ किसी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं है, वहॉ पर समस्त अतिथि व्याख्याताओं को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्वांत के प्रकाश में एक समान अवसर दिया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार अवलोकनार्थ एवं अतिथि व्याख्याताओं के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन में विभागाध्यक्षों के मतांकन एवं श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता द्वारा दिये गये विधिक अभिमत तथा एक शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिये अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में जारी किये गये विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :–

सत्र 2021–22 में सत्रांत में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश अनुसार याचिकाकर्ता अतिथि व्याख्याताओं के समान ही अन्य शेष अतिथि व्याख्याताओं के संदर्भ में कार्यवाही किया जावे।

14 JUL 2022

विषय क्रमांक – 9 (विश्वविद्यालय के स्थापना एवं प्रशासन विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में अनुबंधित फर्म बस्तर सिक्यूरिटी गॉर्ड इंटेलिजेंट सर्विस, जगदलपुर द्वारा सुरक्षा गॉर्ड तैनाती के देयक भुगतान के संबंध में।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यादेश क्रमांक/2189/भण्डार/श.म.क.वि.वि./2021–22 जगदलपुर,दिनांक 29/10/2021 के अनुसार संचालक, बस्तर सिक्यूरिटी गॉर्ड इंटेलिजेंट सर्विस, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) द्वारा प्राप्त देयक क्रमांक BIG-SS/JDP/04, BIG-SS/JDP/05 एवं BIG-SS/JDP/06 के अनुसार क्रमशः माह फरवरी, 2022, मार्च, 2022 एवं अप्रैल, 2022 तक कुल तीन माहिनो का देयक निम्नानुसार प्राप्त हुआ है :–

माह फरवरी, 2022 का देयक (बिल नं. 995 दिनांक 28.02.2022)

S.No.	Particulars	No. of Person	Duties	Rate	Amount
1	Security Guard without Arms Duty for the month of Feb-2022 (Period from 01/02/2022 to 28/02/2022)	20	548	9460.00 P.M. Per person	172802.66
2	E.P.F. @13%	20	548	1229.80	22464.34
3	ESI @ 3.25%	20	548	307.45	5616.08
	Total	**20**	**548**	**109977**	**200883**
	Agency Charge	-	-	-	-
	SGST	9%	Monthly	989.73	**18079**
	CGST	9%	Monthly	989.73	**18079**
	Grand Total	**20**	**Monthly**	**12976**	**237041**
	(Two Lakh Tharty Seven Thusand Forty One Only)				

माह मार्च, 2022 का देयक (बिल नं. 1005 दिनांक 31.03.2022)

S.No.	Particulars	No. of Person	Duties	Rate	Amount
1	Security Guard Duty for the month of March- 2022 (Period from 01/03/2022 to 31/03/2022)	23	713	9460.00 P.M. Per person	217560
2	E.P.F. @13%	23	713	1229-80	28285.40
3	ESI @ 3.25%	23	713	307.45 P.M.	7071.35
	Total	**23**	**713**	**10997**	**252936.75**
	Agency Charge	-	-	-	-
	SGST	9%	Monthly	989.73	**22764**
	CGST	9%	Monthly	989.73	**22764**
	Grand Total	**23**	**Monthly**	**12976**	**298465**
	(Rs. Two Lakh Ninty Eight Thousand Four Hundred Sixty Five only)				

14 JUL 2022

माह अप्रैल, 2022 का देयक (बिल नं. 1016 दिनांक 30.04.2022)

S.No.	Particulars	No. of Person	Duties	Rate	Amount
1	Security Guard Duty for the month of Aporil- 2022 (Period from 01/04/2022 to 30/04/2022)	23	690	9460.00 P.M. Per person	217580
2	E.P.F. @13%	23	690	1229-80	28285.40
3	ESI @ 3.25%	23	690	307.45 P.M.	7071.35
	Total	**23**	**690**	**10997**	**252936.75**
	Agency Charge	-	-	-	-
	SGST	9%	Monthly	989.73	**22764**
	CGST	9%	Monthly	989.73	**22764**
	Grand Total	**23**	**Monthly**	**12976**	**298465**
	(Rs. Two Lakh Ninty Eight Thousand Four Hundred Sixty Five only)				

अतः विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 01/02/2022 से 28/02/2022 तक 20 सुरक्षा गॉर्ड की तैनाती हेतु देयक राशि रूपये 237041.00, दिनांक 01/03/2022 से 31/03/2022 तक 23 सुरक्षा गॉर्ड की तैनाती हेतु देयक राशि रूपये 298465.00 एवं दिनांक 01/04/2022 से 30/04/2022 तक 23 सुरक्षा गॉर्ड की तैनाती हेतु देयक राशि रूपये कुल 298465.00 तक 3 माह की कुल राशि रूपये 833971.00 (आठ लाख तैतीस हजार नौ सौ एकहत्तर रूपये मात्र) के देयक का भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :–

वित्तीय परीक्षणोपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 10 (विश्वविद्यालय के विकास विभाग का प्रस्ताव)

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उत्तर बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा नवनिर्मित कन्या छात्रावास में 01 नग बोरिंग किये जाने के उपरांत राशि रू. 1.89 लाख प्राक्कलन प्रेषित किया गया है। जिसकी कार्योत्तर प्रशासकीय स्वीकृति एवं देयक भुगतान किये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर हेतु जिला प्रशासन द्वारा नवनिर्मित कन्या छात्रावास में संबंधित ठेकेदार द्वारा किये बोरवेल से पर्याप्त पानी नहीं निकलने के कारण तथा छात्रावास संचालन एवं समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए कुलसचिव महोदय के मौखिक निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उत्तर बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा निर्धारित पर 01 नग बोरिंग लगाया गया है। जिसमें पर्याप्त पानी निकलने के उपरांत प्राक्कलन की राशि रू. 1.89 लाख का प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति एवं राशि रू. 1.89 लाख कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उत्तर बस्तर संभाग, जगदलपुर को भुगतान किये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

कार्योत्तर स्वीकृति एवं प्राक्कलन अनुसार सम्पादित किये गये कार्य हेतु व्यय राशि रू. 1.89 लाख के वित्तीय परीक्षणोंपरांत भुगतान करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

विषय क्रमांक – 11 (विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं गोपनीय विभाग का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के परीक्षा/गोपनीय विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदान करने विषयक।

14 JUL 2022

विभागीय टीप :–

(A) परीक्षा/गोपनीय विभाग के समस्त कार्य राज्य शासन द्वारा जारी अकादमिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित समयावधि में संपादित करना होता है। इसलिए कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त समय में रूककर कार्य करना पड़ता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए कार्यपरिषद की पंचम बैठक दिनांक 12.09.2011 को बस्तर विश्वविद्यालय के परीक्षा/गोपनीय विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदाय करने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित की गई थी। जिसके अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों को मूल वेतन का सवा छः प्रतिशत जिसमें अधिकारियों को 1500/–रू., तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 750/–रू. एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 500/–रू. तथा दै.वे.भोगी श्रमिकों को 350 रू. अधिकतम देय राशि स्वीकृत किया गया था। अतिरिक्त कार्यभत्ता जनवरी से जून एवं सितम्बर, अक्टूबर कुल आठ महीने के लिए निर्धारित है। चूंकि उक्त व्यवस्था लागू होने के समय सेमेस्टर पद्धति से परीक्षायें आयोजित नही होती थी किन्तु वर्तमान में सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन होने से परीक्षायें पूरे वर्ष भर अयोजित हो रही हैं। ऐसे में कर्मचारियों को पूरे वर्ष भर अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है।

अतः अतिरिक्त कार्य की समयावधि को बढ़ाकर जनवरी से दिसम्बर कुल 12 माह करते हुए पारिश्रमिक की राशि में निम्नानुसार वृद्धि किया जाना उचित होगा–

क्र.	अधिकारी/कर्मचारियो का विवरण	प्रतिमाह वर्तमान में देय पारिश्रमिक की राशि	वृद्धि हेतु प्रस्तावित पारिश्रमिक की राशि प्रतिमाह
1	अधिकारियों के लिए अधिकतम पारिश्रमिक	1500/–	2000/–
2	तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए अधिकतम पारिश्रमिक	750/–	1000/–
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए अधिकतम पारश्रमिक	500/–	750/–
4	दै.वे.भो. श्रमिकों के लिए अधिकतम पारिश्रमिक	350/–	500/–

(B) इसी तरह विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारियों, वाहन चालकों एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों/दै.वे.भोगी श्रमिको को संबंद्ध महाविद्यालयों में कोरी उत्तर पुस्तिका, प्रश्नपत्रों, अंकसूची एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को पहुॅचाने एवं परीक्षा समाप्ति उपरांत लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को संग्रहित करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन केन्द्रों में मूल्यांकन के लिए भेजने की जिम्मेदारी होती है। उक्त कार्यो के संपादन हेतु कर्मचारियों द्वारा सुबह 4 बजे से रात्रि 11–12 बजे तक अतिरिक्त कार्य करते है। इस हेतु बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.10.2010 के पूरक विषय सूची क्रमांक –03 में निम्नानुसार भत्ता निर्धारित किया गया था :–

क्र.	कर्मचारियों का विवरण	देय राशि प्रतिदिन	वृद्धि हेतु प्रस्तावित पारिश्रमिक की राशि प्रतिदिन
1	तृतीय वर्ग कर्मचारी	100/–रू.	120/–
2	वाहन चालक	80/–रू.	100/–
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	60/–रू.	80/–
4	दै.वे.भो. श्रमिक	–	60/–

उपरोक्त सूची में दै.वे.भो. श्रमिकों का उल्लेख नहीं था । चूॅकि शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में नियमित कर्मचारियों की अत्यंत कमी है, जिसके कारण दै.वे.भो. श्रमिकों के माध्यम से परीक्षा/गोपनीय विभाग के अधिकांश कार्य संपादित होते है। अतः दै.वे.भो. श्रमिकों को भी 60/–रू. की दर से अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदाय किया जाना उचित होगा। उपरोक्तानुसार किसी भी कर्मचारी को उनके द्वारा संपादित किये जा रहे कार्य के अनुरूप अतिरिक्त कार्य भत्ता का लाभ क्रमांक A एवं B में से किसी एक समयावधि में एक भत्ता की पात्रता होगी।

14 JUL 2022

निर्णय :–

भत्ता के स्थान पर मानदेय प्रदान करने हेतु उपरोक्तानुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। भविष्य में विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट में मानदेय प्रदाय करने हेतु प्रस्तावित व्यय का आकलन कर प्रावधान किया जावे।

विषय क्रमांक – 12 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

NAAC मूल्यॉकन हेतु आधिक्य व्यय के भुगतान के लिये अनुपूरक बजट पारित करने के संबंध में।

विभागीय टीप :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान में अन्य आकस्मिक व्यय, कोरोना बचाव एवं NAAC व्यवस्था हेतु राशि 5.00 लाख रूपये व्यय का प्रावधान किया गया था। चूकि मान. कुलपति और कुलसचिव के कथनानुसार सत्र 2022–23 में NAAC मुल्यांकन कार्य कराया जाना अनिवार्य था। NAAC मुल्यांकन की तैयारी के लिये पूर्व में MOCK Team निरीक्षण कराया गया है। उक्त दोनों कार्य में फीस की राशि 9.30 लाख रूपये खर्च किया गया।

MOCK Team विजिट दिनांक 23/05/2022 से 25/05/2022 के सदस्यों के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में व्यवस्था में कमी को इंगित कर पूर्ण कर लेने को मार्गदर्शन दिया गया। जिसके आधार मान. कुलपति एवं कुलसचिव के निर्देशानुसार भोजन, टेंट, माईक, बैठक व्यवस्था, कारपैट, परदा, फ्लैक्स, सनबोर्ड, गमला, अग्निशमनयंत्र, शिकायत पेटी, व्हील चेयर, फर्स्ट एड बॉक्स, कुर्सियों, राऊटर, पैरदान, एल्युमिनियम सेक्शन, डस्टबीन विथ हेंगर, शटर बोर्ड, बैडिंग मशीन, नेटवर्किंग, ग्लासवर्क, कूलर, पेंटिंग, फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, ड्रेपरॉड अदर हुक, मिडिया फाईबर का कुल व्यय राशि रू. 27,96,823/- (सताईस लाख, छियान्बे हजार आठ सौ तेईस) व्यय किया जा चुका है। अतः बजट प्रावधान से आधिक्य राशि 32.00 लाख रूपये खर्च किया जा चुका है। जिसका भुगतान शेष है। उपरोक्त के संबंध में विश्वविद्यालय के वित्त समिति द्वारा दिनांक 11/07/2022 को अनुपूरक बजट प्रस्तावित किया गया है।

अतः उपरोक्त अनुपूरक बजट को अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं पारित करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय के नवीन भवनों में आवश्यक अधोसंरचना विकास हेतु सामग्री क्रय किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार सामग्री क्रय में किये गये व्यय का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक – 13

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

विषय क्रमांक – 1 (विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास का प्रस्ताव)

नवनिर्मित कन्या छात्रावास के संचालन हेतु नियमावली एवं छात्र–छात्राओं के लिए नियमावली तथा शुल्क निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागिय टीप :–

दिनांक 27.05.2022 को आयोजित कार्यपरिषद की 39वीं बैठक के विषय क्रमांक–13 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 07.07.2022 को आयोजित बैठक के संलग्न कार्यवाही विवरण के अनुसार नवनिर्मित कन्या छात्रावास के संचालन हेतु नियमावली एवं छात्र–छात्राओं के लिए नियमावली तथा शुल्क निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :–

14 JUL 2022

1. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर में नवीन कन्या छात्रावास के संचालन के लिए तैयार की गई नियमावली का अवलोकन किया गया। आंशिक संशोधन उपरांत कन्या छात्रावास में प्रवेश हेतु नियम, छात्रवास में रहने के नियम, छात्रावास से बर्हिगमन संबंधी नियम, छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3 से पारित किया गया है।

2. शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर में नवीन कन्या छात्रावास के संचालन के लिए तैयार की गई नियमावली पुस्तिका का प्रकाशन शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु 150 नग केन्द्रीय जेल, जगदलपुर अथवा स्थानीय मुद्रक से कराये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

3. नवीन कन्या छात्रावास के संचालन के लिए शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु निम्नानुसार शुल्क तॉलिका का निर्धारण किये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है :–

S.No.	Detail of Fee	Amount (in Rs)	Remark
1	Admission fee (Including ID card)	400/-	Per Year
2	Room Rent	3600/-	Per Year
3	Fees for Electricity & Water Supply	1200/-	Per Year
4	Amalgamated Hostal	500/-	Per Year
5	Caution Money	1000/-	(One time which will be refundable)
	Total	6700/-	

कन्या छात्रावास में प्रवेशित छात्रा द्वारा यदि वर्ष के मध्य में किसी कारण से छात्रावास छोड़ना चाहती है तो कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। उपरोक्त शुल्क तॉलिका शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु प्रभावशील होगा, आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु आवश्यकतानुसार पुनः संशोधित किया जा सकेगा।

4. छात्रावास में मेस सहकारिता आधार पर छात्राओं की कमेटी द्वारा संचालित किया जा सकेगा अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित कैंटिन द्वारा टिफिन सर्विस उपलब्ध कराया जावेगा, जिसका मासिक व्यय के आधार पर प्रत्येक छात्रा को अपना अंशदान जमा करना होगा जो औसतन रूपये 3000/– प्रति माह तक हो सकता है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 2 (विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग का प्रस्ताव)

राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर द्वारा जारी पत्रानुसार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अन्य राज्य के माननीय राज्यपाल को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रण किया जाना है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर के संलग्न पत्र क्रमांक/4850/वि.वि.शाखा/2022/रास/यू. रायपुर, दिनांक 05.07.2022 के अनुसार दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न Governors Conference की कार्यवाही विवरण भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 7/6/2022-M&G, dated 7 June, 2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसके Annexure-B के बिन्दु–4 में राज्य के विश्वविद्यालयों में आयोजित दीक्षांत समारोह में अन्य राज्य के माननीय राज्यपालों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का सुझाव है।

निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में अन्य राज्य के माननीय राज्यपाल को आमंत्रित जाना है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया।

14 JUL 2022

विषय क्रमांक – 3 (विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का प्रस्ताव)

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के EPF/ECS के लिए कर्मचारी अंशदान की राशि रू. 24,23,022/– एवं नियोक्ता अंशदान की राशि रू. 26,23,685/– इस प्रकार कुल राशि रू. 50,46,407/– (पचास लाख छियालीस हजार चार सौ सात) तथा शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए राशि रू. 10.00 लाख व्यय हेतु अनुपूरक बजट पारित करने के संबंध में।

विभागिय टीप :–

(अ) विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी EPF/ECS नियम के तहत दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2021 तक का कर्मचारी अंशदान की राशि रू. 24,23,022/– एवं नियोक्ता अंशदान की राशि रू. 26,23,385/– कुल राशि रू. 50,46,407/– उनके EPF खाता संख्या में जमा किया जाना है। दिनांक 01.04.2015 से 30.09.2021 तक कर्मचारी अंशदान उनके वेतन भुगतान से नहीं काटा गया है। उक्त राशि को उनके वर्तमान वेतन से मासिक कटौती करने हेतु प्रत्येक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का शपथ पत्र लिया जाकर विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान एक मुश्त जमा किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपरोक्त से संबंधित बजट प्रावधान नहीं किया गया है। अतः उक्त अंशदान की राशि रू. 50,46,407/– के अनुपूरक बजट वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.07.2022 को कार्यपरिषद में पारित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

शारीरिक शिक्षा मद :–

(ब) वित्तीय वर्ष 2022–23 में ओपन जीम, खेल सामाग्री क्रय (बास्केट बॉल पोट, नेट कीट, क्रिकेट कीट, फुटबाल पोल एवं कीट) के संबंध में बजट प्रावधन नहीं किया गया है। परन्तु माननीय कुलपति के निर्देश पर नैक मूल्यांकन हेतु ओपन जीम सामाग्री लिया गया शारीरिक शिक्षा विभाग के संचालक द्वारा अन्य खेल सामाग्री क्रय क्रीड़ा अधिकारी का मानदेय राशि बढ़ाने अग्रिम एवं स्टेश्नरी की राशि बढ़ाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके आधार पर कुल राशि रू. 10.00 लाख (दस लाख) के अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। उक्त अनुपूरक बजट को वित्त समिति के बैठक दिनांक 11.07.2022 को पास कर कार्यपरिषद में पारित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

निर्णय :–

EPF का भुगतान 01.04.2015 से 30.09.2021 तक कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की राशि एकमुश्त विश्वविद्यालय जमा की जायेगी। कर्मचारी अंशदान का समायोजन के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मासिक भुगतान कटौती करने हेतु शपथ पत्र लिया जाकर एकमुश्त राशि जमा किया जावेगा। उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2022–23 का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 4 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

नवीन परिसर धरमपुरा (कालीपुर के समीप) में संचालित एम.बी.ए., एम.सी.ए. एवं बी.एड. अध्ययनशाला भवनों में सुरक्षात्मक दृष्टि से सी.सी. टी.व्ही. कैमरा सी.एस.आई.डी.सी. दर पर लगाये जाने हेतु एवं राशि रू. 10.00 लाख व्यय की स्वीकृति प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागिय टीप :–

नवीन परिसर धरमपुरा (कालीपुर के समीप) में एम.बी.ए., एम.सी.ए. एवं बी.एड. अध्ययनशाला संचालित है। उक्त अध्ययनशाला में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारियों एवं अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की सुरक्षा तथा भवनों एवं भवनों में स्थित सामाग्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सी.सी. टी.व्ही. कैमरा एवं अन्य संबंधित सामाग्रियों का क्रय सी.एस.आई.डी.सी./ई–मानक दर पर लगाया जाना है। जिसका अनुमानित व्यय भार राशि रू. 10.00 लाख तक हो सकती है। अतः स्वीकृति कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया।

14 JUL 2022

विषय क्रमांक – 5 (विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा का प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय भवनों एवं परिसर में साफ–सफाई हेतु एवं ट्रॉजिट हास्टल के भू–तल में केन्टीन संचालन हेतु निविदा जारी करने की सूचना।

विभागिय टीप :–

विश्वविद्यालय के भवनों एवं परिसर के साफ–सफाई हेतु एवं ट्रॉजिट हास्टल के भू–तल में केन्टीन संचालन हेतु दिनांक 13..06.2022 को निविदा जारी किया गया है। जिसका अंतिम तिथि 14.07.2022 तक आमंत्रित किया गया है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 6 (विश्वविद्यालय के स्थापना एवं प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

श्री सत्यनारायण यादव, सहायक ग्रेड–3 को विशेष परिस्थिति में स्वयं के ईलाज हेतु चिकित्सा अग्रिम प्रदाय करने विषयक्।

विभागिय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में कार्यरत श्री सत्यनारायण यादव, सहायक ग्रेड–3 को दिनांक 01.07.2022 को कार्यालय समयावधि में अत्यधिक खून की उल्टी होने के कारण उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय महारानी हॉस्पिटल, जगदलपुर ले जाया गया। वहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज, डिमरापाल, जगदलपुर रेफर किया गया, जहां उनकी स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुये उन्हें बेहतर ईलाज हेतु उच्च स्तरीय संस्था में रेफर किया गया है। ईलाज हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर स्थित उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान में जाने के लिए एम्बुलेंस, जॉच, दवाई, डॉक्टर फीस आदि के लिये विशेष परिस्थिति होने के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति में समायोजन करने की शर्त पर श्री सत्यनारायण यादव को राशि रूपये 2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) चिकित्सा अग्रिम राशि प्रदाय किया गया है, जिसका माननीय कुलपति महोदय द्वारा नस्ती में कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन किया गया है।

विशेष परिस्थिति में स्वयं के ईलाज हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति में समायोजन करने की शर्त पर चिकित्सा अग्रिम राशि रूपये 2,00,000/– प्रदाय करने संबंधी प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :–

कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिचर्या नियम, 2013 के अनुसार चिकित्सा अग्रिम प्रदाय किये जाने में विलम्ब होने अथवा संभव नहीं होने की स्थिति में विशेष आकस्मिक परिस्थिति में विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को और उनके परिवार के अश्रितों के ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति में समायोजन करने की शर्त पर चिकित्सा अग्रिम प्रदान किया जावे।

विषय क्रमांक – 7 (विश्वविद्यालय के स्थापना एवं प्रशासन शाखा का प्रस्ताव)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में सत्र 2022–23 में सहायक प्राध्यापक (संविदा) एवं व्याख्याता (संविदा) की अस्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने के संबंध में।

विभागिय टीप :–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के अधिसूचना क्रमांक/0233/586/सा. प्रशा./स्थापना/2022 जगदलपुर, दिनांक 01/06/2022 द्वारा कार्यपरिषद की 39वीं बैठक दिनांक 27.05.2022 के विषय क्रमांक 18 में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर (संविदा नियुक्ति) विनियम संबंधी प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के अनुसार विनियम क्रमांक–116 "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर (संविदा नियुक्ति) विनियम, 2022" अधिसूचित किया गया है।

14 JUL 2022

उक्त विनियम क्रमांक–116 "शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक पदों पर संविदा नियुक्ति विनियम, 2022" के प्रावधानानुसार शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के शिक्षा अध्ययनशाला, कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला एवं प्रबंधन अध्ययनशाला में स्वीकृत प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं व्याख्याता के रिक्त पदों के विरूद्ध शैक्षणिक सत्र 2022–23 में अध्यापन कार्य हेतु सहायक प्राध्यापक (संविदा) एवं व्याख्याता (संविदा) की अस्थायी नियुक्ति हेतु संलग्न विज्ञापन क्रमांक/0281/600/सा.प्रशा./स्थापना/2022 जगदलपुर, दिनांक 07/07/2022 एवं संलग्न शुद्धि पत्र क्रमांक/0289/600/सा.प्रशा./स्थापना/2022 जगदलपुर, दिनांक 11/07/2022 जारी कर इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय के पोर्टल www.bvvjdpexam.in पर दिनांक 11.07.2022 समय 12.00 बजे अपरान्ह से दिनांक 25.07.2022 समय 23.59 बजे अपरान्ह तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है।

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/268/अका./कार्यपरिषद/2022 जगदलपुर, दिनांक 04/04/2022 द्वारा जारी कार्यपरिषद की 37वीं बैठक दिनांक 29.03.2022 के विषय क्रमांक 10 में उल्लेखित प्रस्ताव पर लिये गये संशोधित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :–

सूचना ग्रहण की गई एवं सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक – 8

बैठक के अन्त में चर्चा के दौरान कुलपति के अनुमति से कुलसचिव द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में हेल्थ फेसिलिटी सेन्टर नहीं है। सत्र 2022–23 से कन्या छात्रावास प्रारंभ किये जाने और आगामी वर्षों में नैक प्रत्यायन के द्वितीय चरण हेतु आवश्यक तैयारी को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर स्थित छ.ग.शासन स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान एम.पी.एम. हॉस्पिटल, जगदलपुर के प्रबंधन से हुई चर्चा एवं दिये गये आश्वासन के अनुसार चिकित्सा संस्थान में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टॉफ द्वारा प्रत्येक दिवस में कम से कम दो घंटा विश्वविद्यालय में उपस्थित रह कर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं, छात्रावास में निवासरत छात्र–छात्राओं, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के आकस्मिक चिकित्सीय परीक्षण एवं ईलाज आदि के लिए उपलब्ध होंगे। इस हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिमाह राशि रू. 10,000/– (दस हजार) मानदेय दिया जायेगा। नर्सिंग स्टॉफ के लिए मानदेय निर्धारण अस्पताल प्रबंधन से चर्चाकर निर्धारित किया जावेगा। हेल्थ फेसिलिटी सेन्टर प्रारंभ करने एवं संचालन करने के लिए आवश्यक सामग्री अस्पताल प्रबंधन के सहयोग से अथवा सी.जी.एम.सी. से प्राक्कलन प्राप्त कर क्रय किया जावेगा।

कुलपति 14/7/22
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

कुलसचिव 14/07/2022
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

14 JUL 2022